

27-11-2019

पत्रावली पेश हुई । वकील अपीलांट व वकील रेस्पो0 नं0 2 लगायत 7 उपस्थित । पूर्व में दिनांक 19.1.2016 को मृतक रेस्पो0 नं0 2 मोहनलाल के का0मु0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में वकील रेस्पो0 को कोई आपत्ति नहीं है । प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । तदनुसार उक्त अपील में अपीलांट को संशोधित टाईटल पेश किया जावे । अपीलांट द्वारा संशोधित टाईटल पेश किया जो शा0 फा0 किया गया । दिनांक 16.10.2019 को रेस्पो0 लाडकंवर को उक्त अपील में रेस्पो0 नं0 9 के रूप में के रूप में पक्षकार बनाने का आदेश पारित किया गया था जिस कारण लाडकंवर को रेस्पो0 नं0 9 के रूप में अपील के शीर्षक में जोड़ा गया । तत्पश्चात अपीलांट व रेस्पो0 1 लगायत 7 और लाडकंवर द्वारा राजीनामा पेश किया । अपीलांट तेजसिंह को श्री प्रेमसिंह सोलंकी द्वारा सिनाख्त किया एवं रेस्पो0 रत्तिराम, देवकरण जितेन्द्र, ओमप्रकाश, छोटूलाल हरिशंकर को रविन्द्र कुमार नागर एडवोकेट द्वारा सिनाख्त किया तथा रेस्पो0 लाडकंवर को कल्पित शर्मा द्वारा सिनाख्त किया गया । प्रस्तुत राजीनामा अपीलांट और उक्त रेस्पो0 को पढकर सुनाया गया, दौनों पक्ष द्वारा राजीनामा सुनकर व समझकर स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया । अतः राजीनामा स्वीकार किया जाकर तस्दीक किया जाता है । चूंकि प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है । पत्रावली फ़ैशल शुमार होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफ़्तर हो ।

